न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0
वाद सं0 176/17
निर्णय दिनांक : 19.01.2018

1. छोटूराम पुत्र लालूराम
2. बन्नाराम पुत्र लालूराम
3. भंवरेन्द्रसिंह पुत्र खेमाराम

समस्त जाति जाट नि0 नई ढाणी माजीपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर
वादीगण

बनाम

1. माधोराम पुत्र लालूराम जाति जाट नि0 नई ढाणी माजीपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
2. तहसीलदार तहसील फुलेरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि खाता सं0 61 पुराना 60 चालू जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में वर्णित आराजीयात खं0नं0 15/1, 71/6, 77/11, 77/4, 77/7 किता 5 कुल रकबा 29 बीघा 10 विस्वा वाकै ग्राम माजीपुरा प0ह0 सुरसिंहपुरा गि0ह0 हिरनोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 की संयुक्त कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी है अर्थात् वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारो समान भाग के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार खातेदारी चालू जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 के राजस्व रेकार्ड में अंकित है। विवादग्रस्त आराजी का पक्षकारान ने पारस्परिक सहमति से मौक पर हिस्सेनुसार विभाजित कर अपने अपने हिस्सेनुसार मनबट अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है ओर मौके के कब्जे अनुसार पारस्परिक सहमति से उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान का विभाजन कर मौके कब्जें अनुसार अलहदा अलहदा खातेदारी कर राजस्व नक्शें में विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की सहमति अनुसार आराजीयात खं0नं0 15/1, 71/6, 77/4, 77/7 का मौके के कब्जें अनुसार विभाजन कर राजस्व नक्शें में तरमीम कर दिया गया किन्तु खं0नं0 77/11 रकबा 6 बीघा 1 विस्वा का मौके के कब्जें अनुसार विभाजन कर नक्शे में तरमीम न कर मौके के कब्जें के विपरित निम्नानुसार बट्टा नम्बर डालकर वादीगण व प्रतिवादी के हिस्से में अन्य आराजीयात के साथ खातेदारी में हिस्सेनुसार रकबा जरिये नामान्तकरण सं0 294 दिनांक 13.07.15 दर्ज कर दिया गया। खं0नं0 139/77 रकबा 1 बीघा, खं0नं0 143/77 रकबा 10 विस्वा वादी सं0 3 के हिस्सें में दर्ज कर दिया गया। खं0नं0 141/77 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा प्रतिवादी सं0 1 के खाते में दर्ज कर दिया गया। खं0नं0 140/77 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा वादी सं0 1 के खाते में दर्ज कर दिया गया। खं0नं0 77/11 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा वादी सं0 2 के खाते में दर्ज कर दिया गया व खं0नं0 142/77 रकबा 2 विस्वा रास्ते हेतु पक्षकारान की शामलाती खातेदारी अन्य नम्बरान के साथ 1/4–1/4 हिस्सें में दर्ज कर दिया गया। आराजी खं0नं0 77/11 रकबा 6 बीघा 1 विस्वा में वादीगण व

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं0 1 वाद पत्र भाग अ,ब,स,द अनुसार कतई काबिज नहीं है अपितु पक्षकारान संलग्न नक्शें में वर्णित अनुसार उत्तर से दक्षिण लंबी पट्टिया अनुसार यानी पूर्वी सीमा में उत्तर से दक्षिण वादी सं0 2, उसके लगवा उत्तर से दक्षिण प्रतिवादी सं0 1, उसके लगवा उत्तर से दक्षिण वादी सं0 1 उसके लगवा उत्तर से दक्षिण वादी सं0 3 काबिज काश्त है संलग्न नक्शा वाद का एक आवश्यक अंग है। आराजी खं0नं0 77/11 रकबा 6 बीघा 1 विस्वा का तकासमा मौके के कब्जें अनुसार संलग्न नक्शे वाद अनुसार न होने से पक्षकारान अपने अपने हिस्सें की मौके के कब्जें अनुसार आराजी को विकसित नहीं कर सकते वादीगण ने दिनांक 09.12.17 को मौके के कब्जे अनुसार विभाजन कराने व हिस्सेनुसर तकासमा कराकर अलहदा अलहदा कराने व नक्शे में मौके कब्जें अनुसार तरमीम कराने को कहा तो प्रतिवादी सं0 1 इंकार हो गया अतः यह वाद बाबत तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रंतिवादी सं0 1 की तरफ से वकील श्री राजेन्द्र चौपड़ा ने वकालतनामा व इकबाली जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 मय वकीलों ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारान वकील साक्ष्य पेश नहीं करके वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा विभाजन आराजी प्राथमिक डिक्री किया जाकर पूर्व खं0नं0 77/11 रकबा 6 बीघा 1 विस्वा वाकै ग्राम माजीपुरा प0ह0 सुरसिंहपुरा गि0ह0 हिरनोदा तह0 फुलेरा (जिसके नामान्तकरण सं0 294 दिनांक 13.07.15 में किये गये विभाजन अनुसार वर्तमान खं0नं0 139/77, 143/77, 141/77, 140/77, 77/11, 142/77 की बजाय) का मौके के कब्जेनुसार संलग्न नक्शा वाद अनुसार तकासमा किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी अनुसार अलहदा अलहदा किया जाकर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के तहत नक्शे कुरेजात 2 प्रतियो में मंगवाये जाने का आदेश पारित किया जाता है। तहसीलदार फुलेरा को 2 प्रतियो मे नक्शे कुरेजात तैयार कर भिजवाये जाने हेतु लिखा जावे। मुताबिक प्राथमिक डिक्री परचा तैयार कर शामिल किया जावे।

आदेश आज दिनांक 19.01.2018 को खुले न्यायालय मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साभर लेक

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

छोटूराम वगै0 बनाम माधोराम वगै0

वाद बाबत तकासमा आराजीयात व घोषणा खातेदारी

मुकदमा नंबर 176/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील श्री लक्ष्मीनारायण कलवानिया व हाजरी श्री राजेन्द्र चौपड़ा मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा विभाजन आराजी प्राथमिक डिक्री किया जाकर पूर्व खं0नं0 77/11 रकबा 6 बीघा 1 विस्वा वाकै ग्राम माजीपुरा प0ह0 सुरसिंहपुरा गि0ह0 हिरनोदा तह0 फुलेरा (जिसके नामान्तकरण सं0 294 दिनांक 13.07.15 में किये गये विभाजन अनुसार वर्तमान खं0नं0 139/77, 143/77, 141/77, 140/77, 77/11, 142/77 की बजाय) का मौके के कब्जेनुसार संलग्न नक्शा वाद अनुसार तकासमा किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी अनुसार अलहदा अलहदा किया जाकर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के तहत नक्शे कुरेजात 2 प्रतियो में मंगवाये जाने का आदेश पारित किया जाता है। .....

.....निज ..... मुबलिग..... बाबत्.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 01 सन् 2018 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....

ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner